संख्या-8/254/14-2-2014-800(20)/2014

प्रेषक,

डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 22 सितम्बर , 2014

विषय- जनपद मेरठ एवं बागपत में पॉवर ग्रिड कार्पो0 द्वारा 765 के0वी0 एकल परिपथ मेरठ'भिवानी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 1.5277 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 99 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1440/11सी-मेरठ, दिनांक 15 जनवरी, 2014 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीक़ति संख्या- 8बी/यूपी/04/ 99/ 2013/ एफसी/1401, दिनांक 05-12-2013 तथा विधिवत स्वीक़ति संख्या- 8बी/यूपी/ 04/ 99/ 2013/एफसी/1468, दिनांक 01-01-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद मेरठ एवं बागपत में पॉवर ग्रिड कार्पो0 द्वारा 765 के0वी0 एकल परिपथ मेरठ' भिवानी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 1.5277 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 99 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीक़ति तथा राज्य सरकार की शर्तो को सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत
भा0स0 वनभूमि पर अर्थात 3.0554 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों
भा0स0 पर छोटे पौधों विशेषकर औषधीय पौधों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

(5) भा0स0 पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के एजेक्जर-5 में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कडाई से पालन किया जायेगा।

(6) भा0स0 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(7) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(8) भा0स0 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिसमें निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(10) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(11) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण् के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(12) भा0स0 निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और वन पदार्थ की विधिवत बिक्री से प्राप्त राजस्व ग्राम वन समितियों/राज्य राजस्व् कोष में जमा किया जायेगा।

(13) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरा द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(14) भा0स0 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(15) भा0स0 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-7-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(16) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

(17) सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

भा0स0

(18) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(19) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(20) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(21) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(22) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार कहोगा।

(23) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग एवं ट्रान्सपोर्ट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(24) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(25) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(26) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(27) भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त शर्त संख्या- 5 के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या- 7-25/2012-एफसी, दिनांक 05 मई, 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(28) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(29) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- प्रमुख सचिव, आई0टी0इलेक्ट्रानिक्स उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
(3)- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
(4)- जिलाधिकारी, मेरठ, बागपत।
(5)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ, बागपत।
(6)- मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0 मकान नम्बर' 1524, सेक्टर-13, हुदा जनपद भिवानी 127021
(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एy0शुक्ला)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in